

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4199] No. 4199] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 26, 2018/कार्तिक 4, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 2018/KARTIKA 4, 1940

विद्युत मंत्रालय

(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5404(अ).—जबिक मेसर्स फतेहगढ़-भाडला ट्रांसिमशन लिमिटेड (एफबीटीएल), आवेदक, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी/105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली-110021 में है, ने पारेषण योजना "फतेहगढ़, जिला जैसलमेर राजस्थान में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के लिए ट्रांसिमशन" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य हैं:

- 1. फतेहगढ़ पूलिंग स्टेशन- भाडला (पीजी) 765 केवी डी/सी लाइन (400 केवी पर प्रचालित किया जाना है)
- 2. फतेहगढ़ में 400 केवी का पूलिंग स्टेशन स्थापित करना
- 3. 400 केवी: लाइन बेज़ 2 अदद
- 4. बस रिएक्टर 1 × 125 एमवीएआर

और जबिक, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 1/3/2015/PSPA-I/236-237 दिनांक 06.02.2018 के द्वारा पारेषण योजना "फतेहगढ़, जिला जैसलमेर राजस्थान में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के लिए ट्रांसिमशन" के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन के लिए मेसर्स एफबीटीएल को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था:

1. फतेहगढ़ पूलिंग स्टेशन- भाडला (पीजी) 765 केवी डी/सी लाइन (400 केवी पर प्रचालित किया जाना है)

(1)

6248 GI/2018

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "फतेहगढ़, जिला जैसलमेर राजस्थान में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के लिए ट्रांसमिशन" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास हैं।

स्कीम के अंतर्गत ओवरहेड लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

जिला	तहसील	गांव का नाम
जैसलमेर	पोखरण	नारावतों की धानी, अजे री तलाई, नाहरी तलाई, नेरण, परिहारों की धानी, लाखोका नाडो, दिनिखानी की धानी, सानावरा, मंगल सिंह का टोला, महेशा, महेशा की धानी, रूपेरी तलाई, दरसों की धानी, बेलदारों की धानी, खाल्टोन की धानी, नानानियाई, लोनेवाला मागरा, केलवा, सालवी, हार्दिकोट का मागरा, मालियों का मागरा, बिल्ला, मुलबिन खान की धानी, गंगानिवाला मागरा, गोमत, पोखरण, पौडपाडिया, सांखला सर, रामदेवरा, हाथलमेर, बीरामदेओरा, डिडानिया, डिडवानिया, हाजीरों की धानी, आइका, पंच पिपली, पंजी की धानी, दूधिया, उड़ावतों की धानी, सदा, माधोपुरा, नया सानावरा, प्रतापपुरा, सर्नायत, गालर
जोधपुर	फ़ालोदी	शिवपुरा, रायरा, मशका, टेकरा, सिहरा, मेरारी तलाव, दुर्गनी, खड़ा धानी, बड़ी कनासी, टीपू, जोधानी, बुलिदानसिंह की धानी, भेरुसिंह की धानी, सोनालपुरा, धोलियां, मादपुरा, अनोपनगर, मोडकी, खेतुसर, दुर्जनी, अम्रे का बेरा, देदासरी, रानेरी, खाखुरी, सिनावरी तलाव, गुलाम की धानी, भुराज, कानासर, कालू की धानी, इस्माइल की धानी, अजेरी की धानी

मेसर्स फतेहगढ़-भाडला ट्रांसिमशन लिमिटेड ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स फतेहगढ़-भाडला ट्रांसिमशन लिमिटेड (एफबीटीएल) को उपरोक्त ओवरहेड लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास हैं -

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक को ''फतेहगढ़, जिला जैसलमेर राजस्थान में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के लिए ट्रांसिमशन'' पारेषण योजना के तहत बिजली की तारें बिछाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक 14.04.2018 से 20.04.2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
- (v) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
- (vii) मेसर्स एफबीटीएल को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमित को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. सीईए-पीएस 11-21 (21)/1/2018-पीएसपीए-I डिविजन] पी.सी. कुरील, सचिव, के.वि.प्रा.

MINISTRY OF POWER

(CENTRAL ELECTRICITY AUTHOTRY)

ORDER

New Delhi, the 26th October, 2018

- **S.O. 5404(E).**—Whereas M/s. FBTL (Fatehgarh-Bhadla Transmission Limited), the applicant with its registered office at C/105, Anand Niketan, New Delhi 110021 has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission system for Ultra Mega Solar Park in Fatehgarh, Dist Jaisalmer, Rajasthan" with the following scope of work:
 - (i) Establishment of 400 kV Pooling station at Fatehgarh.
 - (ii) Fatehgarh Pooling station- Bhadla (PG) 765 kV D/c line (to be operated at 400 kV)
 - (iii) 2 Nos. of 400 kV line bays at Fatehgarh Pooling Station.
 - (iv) 1×125 MVAR Bus reactor at 400 kV Fatehgarh Pooling Station along with associated bay.

And whereas CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No.1/3/2015/PSPA-I/236-237 dated 06.02.2018 had granted prior approval under section 68 (1) of the Electricity Act, 2003 to M/s FBTL for the following overhead line covered under the transmission scheme "Transmission system for Ultra Mega Solar Park in Fatehgarh, Dist Jaisalmer, Rajasthan":

(i) Fatehgarh Pooling station- Bhadla (PG) 765 kV D/c line (to be operated at 400 kV)

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission system for Ultra Mega Solar Park in Fatehgarh, Dist Jaisalmer, Rajasthan"

The overhead line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

District	Tehsil	Name of Village
Jaisalmer	Pokaran	Narawaton ki Dhani, Aje ri Talai, Nahri Talai, Neran, Pariharon ki Dhani, Lakho ka Nado, Dinikhani ki Dhani, Sanawra, Managal Singh ka Tola, Mahesha, Mahesha ki Dhani, Ruperi Talai, Darson ki Dhani, Beldaron ki Dhani, Khalton ki Dhani, Nananiyai, Lonewala Magra, Kelawa, Salvi, Hardikot ka Magra, Maliyon ka Magra, Billa, Mulbin Khan ki Dhani, Ganganiwala Magra, Gomat, Pokaran, Paupadia, Sankhla Sar, Ramdevra, Hathalmer, Biram deora, Didania, Didwaniya, Hajiron ki Dhani, Aika, Panch Pipali, Panji ki Dhani, Dudhiya, Udavaton ki Dhani, Sada, Madhopura, Naya Sanawara, Pratappura, Sarnayat, Galar
Jodhpur	Phalodi	Shivpura, Rayra, Mashaka, Tekra, Sihra, Merari Talav, Durgani, Khada Dhani, Badi Kanasi, Tepu, Jodhani, Bulidansingh ki Dhani, Bherusingh ki Dhani, Sonalpura, Dholiya, Madpura, Anopnagar, Modki, Khetusar, Durjani, Amre Ka Bera, Dedasri, Raneri, Khakhuri, Sinavri Talav, Gulam ki Dhani, Bhuraj, Kanasar, Kalu ki Dhani, Ismail ki Dhani, Ajeri ki Dhani.

M/s. Fatehgarh-Bhadla Transmission Limited had complied with the MoP's procedure for obtaining the authorization under section 164 of Electricity Act, 2003 for the above scheme. Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s FBTL (Fatehgarh-Bhadla Transmission Limited) for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned transmission lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc.., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission system for Ultra Mega Solar Park in Fatehgarh, Dist Jaisalmer, Rajasthan". The details of the works are published in the Gazette of India dated 14th April 20th April, 2018.

 (v) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government;

- (vi) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made thereunder by the applicant.
- (vii) M/s FBTL shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. CEA-PS-11-21(21)/1/2018-PSPA-I Division]
P.C. KUREEL, Secy., CEA